

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा  
पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा, आर.ए.एस  
अपील संख्या आर टी ए/50/2008

उनवान

1. महेन्द्र सिंह आत्मज माधवलाल दरोगा निवासी शाहपुरा तहसील  
शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. विरेन्द्र सिंह आत्मज माधवलाल दरोगा निवासी शाहपुरा  
तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. दलजीत सिंह आत्मज राजेन्द्र सिंह दरोगा निवासी शाहपुरा  
तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
3. अर्जुन सिंह आत्मज राजेन्द्र सिंह दरोगा निवासी शाहपुरा  
तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
4. मु० रीना पुत्री राजेन्द्र सिंह दरोगा निवासी शाहपुरा तहसील  
शाहपुरा जिला भीलवाडा
5. मु० निर्मला देवी पत्नि राजेन्द्र सिंह दरोगा निवासी शाहपुरा  
तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

रेस्पोंडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
अपील विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के  
प्रकरण संख्या 34/2007 निर्णय दिनांक 11.2.2008  
अधिवक्तागण :-

1. श्री के जी शर्मा , अधिवक्ता अपीलार्थी
2. प्रत्यर्थागण अनुपस्थित


निर्णय

दिनांक 16.1.2020

(कैलास चन्द्र लखारा)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा



1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्धी संख्या 1 / प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 क सजरस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने उक्त अनवान का एक वाद पत्र बाबत घोषित किये जाने खातेदार काश्तकार, बंटवाडा आराजियात एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विपक्षी व अन्य प्रतिवादीगण के विरुद्ध पेश किया हुआ है जिसके प्रकरण संख्या 35 सन् 05 रा0वाद होकर उसमें सुनवाई हेतु दिनांक 27.6.07 नियत है। प्रार्थी व विपक्षी तथा अन्य प्रतिवादीगणों का सजरा निम्न प्रकार है :-



2. सजरे के अनुसार माधवलाल के चार पुत्र तथा एक बेवा थी जिसमें से माधवलाल की पत्नी मालती देवी भी फौत हो गई तथा राजेन्द्र सिंह जसवंत सिंह भी फौत हो गये । जिनके वारिसान सजरे में दर्शाये गये है तथा माधवलाल के चारों पुत्रों व मालती देवी ने अपने जीवनकाल में एक पारिवारिक समझौता पत्र तहरीर व तकमील कराया जिस पर माधवलाल के चारों पुत्रों व मालती देवी ने अपने हस्ताक्षर किये व उक्त समझौता पत्र की नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाया गया । उक्त समझौता पत्र में चारों पुत्रों व मालती देवी के आने वाली सम्पत्ति का ब्यौरा सूचीवार दिया गया है। जिसमें सूची "क" राजेन्द्र सिंह के रहने का

(केलारा ~~सं~~ लालादी)

शु-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजसत जपसी प्राधिकारी, श्रीवास्तव

इकरार किया गया था व सूची "ख" में वर्णित सम्पत्ति महेन्द्र सिंह के हक व अधिकार में रहने का इकरार, सूची "ग" में वर्णित सम्पत्ति जसवंत सिंह के हक व अधिकार में रहने का इकरार व सूची "घ" में वर्णित सम्पत्ति वीरेन्द्र सिंह प्रार्थी के हक व अधिकार में रहने का इकरार किया तथा सूची "च" मालती देवी के हक अधिकार में रहने का इकरार पारिवारिक समझझैता पत्र माधव लाल के सभी वारिसानों ने तहरीर व तकमील कराया ।

3. ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा में प्रार्थी व विपक्षी तथा अन्य प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की निम्न वर्णित कृषि आराजियात स्थित है जिसमें प्रार्थी व विपक्षी तथा अन्य प्रतिवादीगण का अलग-अलग हक व हिस्सा निहित है:-

आ.नं.	हाल रकबा	आ.नं.साबिक	रकबा
3707	0.46	1508	1 बीघा 16 बिस्वा
5044	0.02	2479	1 बिस्वा
5045	1.11	2480	4 बीघा 8 बिस्वा
5048	0.31	2483	8 बिस्वा
5049	0.09	2484	9 बिस्वा
5785	0.70	2483 मी	
5800	0.70	3015/1ख	2 बीघा 15 बिस्वा
5801	0.06	3024/3मी	10 बिस्वा
		3024/3मी	

किता 8रकबा 2.82

4. ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा में प्रार्थी व विपक्षी तथा अन्य प्रतिवादीगण के कब्जेकाश्त व स्वामित्व की निम्न वर्णित कृषि आराजियात स्थित है:-

आ.नं.	रकबा (हैक्टे0 में)
5035	0.51

(कैलास चन्द्र लखार)

भू-प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

5042

0.40

किता 2

0.91 है0

उक्त पेरा में वर्णित कृषि आराजियात के भू प्रबन्ध के पूर्व के नम्बर 2472, 2473, 2477/1 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा पारिवारिक समझौता पत्र के अनुसार इस पेरा में वर्णित कृषि आराजियात मालती देवी के हिस्से में आई थी । लेकिन इकरारनामे के अनुसार मालती देवी के स्वर्गवास के पश्चात उक्त आराजियात प्रार्थी व प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 के संयुक्त रूप से आधे-आधे हिस्से अनुसार राजस्व दस्तावेजों में दर्ज होना था लेकिन उक्त आराजियात माधवलाल ने अपने जीवकाल में बनाई थी तथा समझौता पत्र के अनुसार माताजी के स्वर्गवास के पश्चात विपक्षी के नाम राजस्व दस्तावेजों में दर्ज होने से विपक्षी द्वारा प्रार्थी व प्रतिवादी संख्या 6 से 9 के नाम राजस्व दस्तावेजों में दर्ज करानी थी लेकिन विपक्षी ने उक्त आराजियात की रजिस्ट्री प्रार्थी व जसवंत सिंह के वारिसान के नाम दर्ज नहीं कराई इसलिए इस पेरा में वर्णित आराजियात जो कि समझौता पत्र के अनुसार प्रार्थी व प्रतिवादी संख्या 6 से 9 के नाम संयुक्त रूप से आधे-आधे हिस्से अनुसार दर्ज कराने के लिए वाद पत्र प्रस्तुत किया ।

5. प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 3 में वर्णित भू प्रबन्ध से पूर्व की कृषि आराजी संख्या 2479, 2480, 2483, 2484 रकबा कमशः 2 बिस्वा, 4 बीघा 8 बिस्वा, , 1 बीघा 4 बिस्वा जिसके भू प्रबन्ध के पश्चात आराजी नम्बर 5044, 5045, 5048, 5049 बने हैं जिनका रकबा कमशः 0.02, 1.11 , 0.31, 0.09 है0 इस पेरा में वर्णित कृषि आराजियात जो कि पारिवारिक समझौता पत्र की सूची "ग" व "घ" के अनुसार प्रार्थी वीरेन्द्र सिंह के हक व हिस्से में आधी तथा प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 के हक व हिस्से में आधी रही व इसी

(कैलास चन्द्र लखारा)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा



अनुसार इस पेरा में वर्णित आराजियात राजस्व दस्तावेजों में प्रार्थी व जसवंत सिंह के वारिसान के नाम संयुक्त रूप से आधी-आधी हिस्से में दर्ज होनी चाहिये थी लेकिन राजस्व अधिकारियों ने समझौता पत्र में वर्णित तथ्यों को नजर अंदाज कर इस पेरा में वर्णित कृषि आराजियात में भी अन्य विपक्षीगणों सभी का नाम राजस्व दस्तावेजों में दर्ज कर दिया । जिसका कि उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है जबकि समझौता पत्र के नुसार इस पेरा में वर्णित आराजियात आधी प्रार्थी के नाम व आधी जसवंत सिंह के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 9 के नाम राजस्व दस्तावेजों में दर्ज होनी चाहिये थी तथा प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 3 में वर्णित हाल कृषि आराजियात 3707, 5785, 5801 में संयुक्त रूप से विपक्षी संख्या 1 से पांच का नाम दर्ज होना चाहिये था अर्थात् प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 3 में वर्णित कृषि आराजियात में से इस पेरा में वर्णित कृषि आराजी में प्रार्थी व जसवंत सिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 का संयुक्त रूप से आधा-आधा हिस्सा दर्ज कराने हेतु तथा शेष बची कृषि आराजी में विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 का नाम राजस्व दस्तावेजों में दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । वादग्रस्त आराजियात में वर्तमान में समझौता पत्र के अनुसार प्रार्थी व विपक्षीगण अपने-अपने हक हिस्से पर काबिजकाशत है लेकिन राजस्व दस्तावेजों में समझौता पत्र के अनुसार प्रार्थी व विपक्षी अपना अपना नाम दर्ज कराया जावे ।

6. प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 2 व 3 में वर्णित कृषि आराजी जिस में कि प्रार्थी का 1/2 हक व हिस्सा है प्रार्थी अपने हक व हिस्से की आधी आराजी में फसल काशत कर रखी है लेकिन विपक्षी आये दिन मौके पर आकर विवाद उत्पन्न करते हैं इसी क्रम में दिनांक 19.2.2007 को प्रार्थी अपने खेतों पर काशत की हुई फसल की देखभाल करने

(कैलास धनू लखारा)


भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपती प्राधिकारी, भीलवाड़ा



गया तो विपक्षी ने मौके पर विवाद उत्पन्न किया। प्रकरण में प्रार्थी का प्रथमदृष्टया प्रकरण है व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी के कब्जेकाशत में किसी प्रकार की बाधा कारित की व उनको उनकी कृषि आराजियात से बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थी को भारी अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। अतः प्रार्थी के पक्ष में व विपक्षी संख्या 1 लगायत 5 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 3 व 4 में वर्णित कृषि आराजी मे वादी के कब्जेकाशत में किसी प्रकार की बाधा विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 5 कारित न तो स्वयं करें एवं न अपने नौकरों, एजेण्ट से कारित करावे।

7. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।
8. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 5035 एवं 5042 जिनके साबिक आराजी नम्बर 2472, 2473, 2477 होकर उक्त कृषि आराजियात रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये अपीलाण्ट की खरीदसुदा आराजियात है जिनके बारे में रेस्पोजेण्ट संख्या 1 के अभिकथनानुसार कथित पारिवारिक समझौता पत्र के मुताबिक अपीलाण्ट द्वारा पालना नहीं किये जाने पर उसकी विनिर्दिष्ट अनुपालना कराये बिना रेस्पोजेण्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत किया गया वाद पत्र कानूनन पोषणीय नहीं





(कौलास चन्द्र लखारा)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

था। ऐसी स्थिति में रेस्पोजेण्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किये गये अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के संदर्भ में उसके पक्ष में कोई प्रथमदृष्टया मामला होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों का मनमाना विवेचन करते हुए रेस्पोजेण्ट संख्या 1 के पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो निरस्त योग्य है।

10. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाण्ट अकेले के खातेदारी हक अधिकार की वादग्रस्त को श्रीमती मालती देवी के पक्ष में रजिस्टर्ड विलेख के जरिये ही अन्तरित की जा सकती है तथा इस बारे में अपीलाण्ट की ओर से न तो कोई रजिस्टर्ड विलेख निष्पादित किया गया एवं न उक्त भूमि श्रीमति मालती देवी के पक्ष में अन्तरित की गई। इस प्रकार स्टाम्प एक्ट एवं रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधानों की पूर्ण अवहेलना करते हुए एवं कथित समझौता पत्र की विनिर्दिष्ट अनुपालना के लिए देय स्टाम्प ड्यूटी से बचने के आशय से रेस्पोजेण्ट संख्या 1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया वाद पत्र कानूनन पोषणीय नहीं होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने मामले के उक्त विधिक पहलुओं को पूर्णतया नजर अंदाज करते हुए प्रकरण को पोषणीय मानते व अपीलाण्ट के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा करने में गंभीर विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है।

11. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोजेण्ट संख्या 1 ने अपना वाद पत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र वर्ष 1989 के कथित पारिवारिक समझौता पत्र के आधार पर प्रस्तुत किया, जबकि कथित पारिवारिक समझौता पत्र की विनिर्दिष्ट अनुपालना विधि के अन्तर्गत अधिकतम 3 वर्ष की समय सीमा में ही कराई जा सकती थी तथा उक्त समय सीमा में रेस्पोजेण्ट संख्या 1




(कैलास चन्द्र लखार)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपीली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

द्वारा 18 साल बाद प्रस्तुत किया गया मामला प्रथमतः पोषणीय नहीं होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोजेण्ट संख्या 1 के पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला मानते हुए अपीलाण्ट के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में भारी भूल की है।

12. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि स्व० माधव लाल जी की पारिवारिक पुश्तैनी कृषि आराजियात के बंटवाड़े के मामले में उनकी पुत्री, यानि रेस्पोजेण्ट संख्या 1 एवं अपीलाण्ट की बहिन मु० कमल आवश्यक पक्षकार होकर इसके अभाव में प्रकरण पोषणीय नहीं है, इस बारे में सस्पष्ट आपत्ति के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने कयासी तौर पर यह अंकित कर दिया कि स्वयं पक्षकार बनने हेतु स्वतंत्र है एवं मामले में पक्षकार बन सकती है। इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये क्रय करने वाले श्री प्रेम सिंह यादव के बारे में भी इसी तरह की फाईडिंग लिखते हुए कि वह स्वयं भी पक्षकार बनने हेतु स्वतंत्र है एवं मामले में पक्षकार बन सकता है। इस तरह की फाईडिंग के आधार पर रेस्पोजेण्ट संख्या 1 के पक्ष में प्रथमदृष्टया प्रकरण होना मानते हुए व वादग्रस्त भूमि में जायज हक व अधिकार रखने वाले क्रेता एवं अपीलाण्ट के हक अधिकारों को नजर अंदाज करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर त्रुटि की है।

13. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोजेण्ट संख्या 1 के वाद पत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त भूमि को विक्रय, रहन, बेह आदि नहीं करने के बारे में कोई अभिकथन नहीं किये गये, फिर भी उक्त आशय से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के संदर्भ में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु रेस्पोजेण्ट संख्या 1 के पक्ष में निणित करने में भी अधीनस्थ


  
(कैलास चन्द्र लखारा)  
भू-प्रदत्त अधिकारी एवं पदेन  
राजस अपीली प्राधिकारी, भीलवाड़ा



न्यायालय ने भारी अवैधानिकता की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की कजाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.2.2008 को निरस्त किया जावे।

14. हमनें प्रत्यर्थीगण के अनुपस्थित रहने से अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी नम्बर 5035 व 5042 किता 2 रकबा 0.91 है० के साथ अन्य आराजी बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया ।
15. वादग्रस्त आराजी नम्बर 5035 व 5042 किता 2 रकबा 0.91 है० महेन्द्र सिंह आत्मज माधव लाल दरोगा द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा क्रय की गई थी। जो कि उसके द्वारा स्वअर्जित आराजियात थी।
16. प्रत्यर्थी संख्या 1 का कथन है कि माधवलाल के चारों पुत्रों व मालती देवी ने अपने जीवनकाल में एक पारिवारिक समझौता पत्र तहरीर व तकमील कराया जिस पर माधव लाल के चारों पुत्रों व मालती देवी ने अपने हस्ताक्षर किये व उक्त समझौता पत्र की नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाया गया । उक्त समझौता पत्र में चारों पुत्रों व मालती देवी के आने वाली सम्पत्ति का ब्यौरा सूचीवार दिया गया है। जिसमें सूची "क" राजेन्द्र सिंह के रहने का इकरार किया गया था व सूची "ख" में वर्णित सम्पत्ति महेन्द्र सिंह के हक व अधिकार में रहने का इकरार, सूची "ग" में वर्णित सम्पत्ति जसवंत सिंह के हक व अधिकार में रहने का इकरार व सूची "घ" में वर्णित सम्पत्ति वीरेन्द्र सिंह प्रार्थी के हक व अधिकार में रहने का इकरार किया तथा सूची "च" मालती देवी के हक अधिकार में रहने का






(कैलास चन्द्र लखारा)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

इकरार पारिवारिक समझौता पत्र माधव लाल के सभी वारिसानों ने तहरीर व तकमील कराया । इस कारण मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया।

17. दौराने विचारण वाद प्रतिवादी संख्या 1/महेन्द्र सिंह पिता माधव लाल दरोगा ने वादग्रस्त आराजी नम्बर 5035 , 5042 किता 2 रकबा 0.91 है0 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा कय किया गया था। जिसे उनके द्वारा प्रेम सिंह यदि पिता मदन सिंह यादव को दिनांक 9.1.2008 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत कर उक्त तथ्य प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र सिंह ने प्रस्तुत किये थे। अधीनस्थ न्यायालय को इस तथ्य की जानकारी होने पर क्रेता/प्रेम सिंह यादव को पक्षकार संयोजित किया जाना चाहिये था। जिससे उसके हक अधिकारों के बारे में निर्णय किये जाने से पूर्व उसको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किय जा सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेम सिंह यादव /वादग्रस्त आराजी के क्रेता को पक्षकार नहीं बनाया गया है जो विधिसम्मत नहीं है।
18. अधीनस्थ न्यायालय ने पारिवारिक समझौता पत्र को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जबकि किसी भी पक्ष द्वारा कथित पारिवारिक समझौता की अनुपालना बाबत कोई कार्यवाही नहीं कराई गई ।
19. वादग्रस्त स्वअर्जित खातेदारी हक अधिकार की वादग्रस्त आराजियात को श्रीमती मालती देवी के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिये ही अन्तरित की जा सकती है तथा इस बारे में रेस्पोजेण्ट संख्या 2 की ओर से न तो कोई रजिस्टर्ड विक्रय विलेख निष्पादित किया गया एवं न ही उक्त भूमि श्रीमती मालती देवी के पक्ष में अन्तरित की गई। इस प्रकार स्टाम्प एक्ट एवं रजिस्ट्रेशन एक्ट के



  
(कैलाश चन्द्र लखारा)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपीलाधीन प्राधिकारी, मीरठ

प्रावधानों की पूर्ण अवहेलना करते हुए एवं कथित समझौता पत्र की विनिर्दिष्ट अनुपालना के लिए देय स्टाम्प ड्यूटी से बचने के आशय से रेस्पोंडेंट संख्या 1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

20. वादग्रस्त आराजी महेन्द्र सिंह आत्मज माधव लाल दरोगा /प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये क़य की गई है। जिसे उनके द्वारा प्रेम सिंह आत्मज मदन सिंह यादव द्वारा प्रतिफल अदा करने के उपरान्त दिनांक 9.1.2008 को कब्जा प्राप्त किया है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला वाद प्रस्तुत करते समय महेन्द्र सिंह पिता माधव लाल दरोगा के पक्ष में था एवं उसके उपरान्त वादग्रस्त आराजी को विक्रय कर देने से प्रेम सिंह यादव आत्मज मदन सिंह यादव के पक्ष में प्रमाणित होता है। यदि वादग्रस्त आराजियात बाबत सुविधा का संतुलन भी रजिस्टर्ड क्रेता के पक्ष में प्रमाणित होता है। यदि वादग्रस्त आराजियात पर बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो निश्चित तौर पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क़य किये जाने वाले पक्ष को ही होना साबित होता है। इस तथ्य को नजर अंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

21. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.2.2008 को निरस्त किया जाता है।

22. निर्णय आज दिनांक 16.1.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं (देन खारा)  
राजस्व अपील प्राधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

